"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2012—श्रावण 8, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्रमांक 6344/डी. 168/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 5 की उप-धारा (2-क) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्रमांक 6344/डी. 168/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2012)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ACT, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5.

2. In sub-section (2-A) of Section 5 of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), for the words "three years" the words "five years" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.